

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बइजलास :- प्रकाश राजपुरोहित ( आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 03/2024 ( अपील)

श्रवण पुत्र घीसा जाति जाट निवासी छिर् तहसील दूदू जिला दूदू राज0।

(अपीलार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू जिला दूदू राज0।

(रेस्पोंडेन्ट )

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 27.2.2024

न्यायालय उप तहसीलदार साखून जिला दूदू मु0न0 46/2024 बउनवानी सरकार बनाम

श्रवण अन्तर्गत धारा 91 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री इमरान खान विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की और से।
2. पैरोकार सरकार (उप तहसीलदार साखून तह0 दूदू) रेस्पोंडेन्ट की और से।

निर्णय

दिनांक :- 10.7.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी श्रवण पुत्र घीसा जाति जाट निवासी छिर् तहसील दूदू जिला दूदू राज0 ने धारा 75 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपील इस आशय की पेश की गई कि अपीलार्थी के विरुद्ध पटवारी हल्का गहलोता की



जिला कलक्टर  
दूदू (राज0)


रिपोर्ट के आधार पर उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू ने कृषि भूमि वर्ष 2080 के दौरान ग्राम छिर् के ख0न0 1094 रकबा 0.8000 है0 मे से 0.40 है0 पर अतिचारी मानते हुए धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलार्थी को 60 दिन का सिविल कारावास व 640/- रुपये पेलेन्टी लगाने का आदेश दिनांक 27.2.2024 को पारित किया , जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई। अधिनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त व तथ्यों एवं कानून के विपरीत आदेश पारित किया जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने एकतरफा निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है। अपीलार्थी की भूमि व चारागाह भूमि का सीमाज्ञान किया जाना अति आवश्यक था, बिना सीमाज्ञान के यह तय नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी ने कैसे अतिचार किया है। अपीलार्थी को निर्णय दिनांक 27.2.24 की जानकारी नहीं रही है। जानकारी गावं में चर्चा होने पर दिनांक 13.3.2024 को हुई, इसलिए अपील के साथ दफा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया जा रहा है। अपील अपीलान्त मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उप तहसीलदार साखून दिनांक 27.2.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। प्रकरण में उप तहसीलदार साखून तह0 दूदू से वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब कर शामिल मिसल की गई।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री इमरान खान ने अपनी बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश न्यायालय उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू दिनांक 27.2.2024 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त व तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को बिना समझे एवं तथ्यों की जांच किये बिना कतई परवर्स निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी को बिना सुने एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी की खातेदारी भूमि के लगवा चरागाह भूमि स्थित है। चरागाह भूमि का विधिवत सही तरीके से सीमाज्ञान किया जाकर डोल लगाना चाहिए था लेकिन आनन फानन में बिना नाप चौक किये ही अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही की है। उप तहसीलदार साखून ने न्यायिक प्रक्रिया में विवेक का प्रयोग किये बिना ही गलत तरीके से अपीलार्थी को सिविल कारावास का आदेश भी पारित किया है जो न्यायोचित नहीं है। इसलिए अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2.2024 अपास्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोंडेन्ट की और से पैरोकार सरकार उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू ने अपीलार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चरागाह भूमि ख0न0 1094 पर 0.40 है0 पर अनाधिकृत रूप से केटल सेड/बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है। अपीलार्थी



जिला कलक्टर  
दूदू (राज0)


द्वारा बार बार अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91(3) के तहत कार्यवाही की जाकर राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश जारी किये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.2.2024 न्यायोचित है। अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

6 उभयपक्ष की बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया। पत्रावली का भलीभाँती अवलोकन किया गया।

7. अवलोकन करने पर पाया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम छिर् तहसील दूदू के ख0न0 1094 रकबा 0.80 है0 किस्म चरागाह में से 0.40 है0 भूमि पर अवैध रूप से कंटलसेड / पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राज. भू. राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये, अपीलार्थी नियत दिनांक को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अपीलार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए, अपीलार्थी को चरागाह भूमि से बेदखल कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण धारा 91(3) के तहत 60 दिवस की सिविल कारावास को सजा के आदेश दिनांक 27.2.2024 को पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा चरागाह भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार राज. भू. राजस्व अधि. की धारा 91 के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही की है जो उचित है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू से वर्तमान मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। जिसके अनुसार वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण पूर्ववत् यथावत् है। अपील में वर्णित राजकीय भूमि किस्म चरागाह दर्ज रिकार्ड है, जिस पर अपीलार्थी के कोई हक व अधिकार नहीं है। इसलिए अपील में वर्णित तथ्य अपीलार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं।

8. अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू जिला दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 46/2024 बउनवानी सरकार बनाम श्रवण में पारित निर्णय दिनांक 27.2.2024 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 10.7.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला कलेक्टर  
दूदू(राज0)